

**कार्यालय-आदेश**

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन) अधिनियम, 2017 की कंडिका 5.(3क) एवं दिनांक 15.11.2018 को आयोजित बियाडा निदेशक पर्वद की 55वीं बैठक के अनुपूरक कार्यावली संख्या-01 में लिए गए निर्णय के आलोक में **Allotment Surrender Facilitation Policy** को निम्नांकित प्रकार से लागू किया जाता है:-

- a. जो इकाई स्थापित हो चुकी है एवं स्थानांतरण नीति में वर्णित शर्तों के आधार पर स्थापित समझा जाये, यदि वे एक्जिट करना चाहती है तो वैसी स्थिति में वह इकाई बियाडा को विहित प्रपत्र (Annex-A) के माध्यम से सूचित करेगी। बियाडा उसे अपने वेबसाईट पर अपलोड करेगी तथा नई इकाई को वह भूमि आवंटित हो जाने पर नये उद्यमी से प्राप्त राशि में से बियाडा का बकाया एवं 15% हस्तांतरण शुल्क तथा 1% सेवा शुल्क काटकर शेष राशि बियाडा पुरानी उद्यमी को भुगतान कर देगी। पूर्व इकाई पर यदि किसी वित्तीय संस्थान/विद्युत कंपनी का बकाया है तो उसका भी देनदारी पूर्व इकाई पर ही होगा। ऐसी स्थिति में नये उद्यमी को भूमि के मूल्य का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

प्रबंध निदेशक।

दिनांक..27/11/18.

ज्ञापांक:- 5882/7.

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/तकनीकी परामर्शी/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/आई0 टी0 शाखा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

01C